

સરનામુ:- -----

તા. / / 20____.

મો.નં.

પ્રતિશ્રી,
ડિવીઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર,
ડી.આર.એમ. ઓફીસ,
વાણિજ્ય શાખા-ભાવનગર.
ભાવનગર પરા

વિષય:- વિકલાંગ વ્યક્તિને રેલવે તરફથી આઈ.ડી.કાર્ડ ઇસ્યુ કરવા અંગે.

મા.સાહેબ,
જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત વિષય ના અનુસંધાને તાજેતર માં રેલવે પ્રશાસન તરફથી લેવાયેલ નિર્ણય અનુસાર વિકલાંગ વ્યક્તિ ને આઈ.ડી.કાર્ડ ઇસ્યુ કરવાના હોઈ આ અરજી સાથે જરૂરી આધાર રજૂ કરુ છુ.

- (1). રિન્યુઅલ કરવા માટેની અરજી / નવી અરજી
- (2). સરનામાના આધાર માટે-.
- (3). રેલવે કન્સેશન સર્ટી. કી નકલ મેં ડોક્ટર કા નામ ઓર રજીસ્ટર નં. હોવો જરૂરી છે.
- (4). જન્મ તારીખ સર્ટી. ની નકલ.
- (5). પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ નંગ-2
- (6). સરકારી હોસ્પિટલ દ્વારા જારી કરેલ દિવ્યાંગ સર્ટીફિકેટ ની નકલ જોડવી.
- (7). જુના રેલવે ઓળખ કાર્ડ ની નકલ
- (8). રેશન કાર્ડ ની નકલ.
- (9). દરેક નકલ સ્વહસ્તાક્ષરિત કરવી.

ઉપર દર્શાવ્યા મુજબનાં આધારો ને ધ્યાન માં લઈ મને આઈ.ડી.કાર્ડ કાઢી આપવા વિનંતી.
આભાર સહ.

બિડાણ- ઉપર મુજબ.

આપનો વિશ્વાસુ,

()

आवेदनपत्र भेजते समय निम्न बातों को ध्यान में रखें और निम्न जरूरी कागजात जोड़कर मंडल कार्यालय को भिजवायें -

- (1). आवेदन (स्वहस्ताक्षरित)
- (2). डॉक्टर का सर्टिफिकेट की प्रति, जिसमें डॉक्टर का नाम, एवम् रजिस्ट्रेशन नंबर होना आवश्यक है ।
- (3). दिव्यांग सर्टिफिकेट जिसमें % लिखा हुआ होना आवश्यक है । (सन् 2014 से पूर्व का नहीं चलेगा)
- (4). मोबाईल नंबर.
- (5). आधार कार्ड/ चुनाव कार्ड/ पान कार्ड/ बिजली का बिल/ बैंक पास बुक की प्रतिलिपि.
- (6). जन्म तारीख का आधार की प्रति.
- (7). पासपोर्ट साईज दो फोटो.
- (8). राशन कार्ड की प्रति.
- (9). आवेदनपत्र एवम् सभी कागजात पर आवेदक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है ।

Concession Certificate for Persons with Disabilities(Divyangjan)

Concession certificate form for orthopaedically handicapped/paraplegic person/patients/ mentally retarded person/ person with visual impairment with total absence of sight/ person with hearing and speech impairment totally(both afflictions together in the same person)

Paste passport size
photograph
Duly signed and
stamped by the
issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. _____ whose particulars are furnished below is a bonafide ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*

Particulars:

- a) Address: _____
- b) Father's/Husband's Name: _____
- c) Age: _____
- d) Sex: _____
- e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent) : _____
- f) Signature or thumb impression
of the person seeking concession (not necessary for those with
both hands missing or non-functional): _____

(Signature of Government Doctor#)

Place: _____
Date: _____

Clear seal of Government Hospital#

Seal containing full name and
Registration Number of the Doctor#

*Strike out where not applicable.

#For PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT, RMP/Head of institution for the blind recognized can also issue certificate for visual impairment(with total absence of sight).

- 1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- 2) For mentally retarded person/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of orthopaedically/ paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- 3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- 4) No alternation in the form is permitted.

दिव्यांगजन के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांगजन/अधरंग व्यक्ति/मरीजों/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति/पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति/पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती ----- जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज है, जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति है/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति है(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ)*

विवरण:

- क) पता :-----
ख) पिता/पति का नाम :-----
ग) आयु :-----
घ) लिंग :-----
ङ) दिव्यांगता किस प्रकार की है: (डॉ. द्वारा लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी या स्थायी है)-----
च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या काम नहीं कर सकते, उनके लिए आवश्यक नहीं):-----

(सरकारी डॉ. के हस्ताक्षर #)

स्थान:-----

दिनांक:-----

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर #

मोहर में डॉ. का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन सं. #

* जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।

पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए, आरएमपी/नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी दृष्टिदोष के लिए (पूर्ण दृष्टिहीनता के साथ) प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

- 1) यह प्रमाणपत्र केवल अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (दोनों अक्षमताएं), को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार लगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से एक साथ फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (1) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (2) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (3) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 4) इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।